ट्रायल के चरण

जाँच पड़ताल

एक पुलिस रिपोर्ट बनने के बाद, एक पुलिस विभाग का गश्ती दल या जासूस जांच करता है कि क्या कोई अपराध किया गया है, फिर सबूत इकट्ठा करता है और संदिग्धों की पहचान करता है।

एक पीड़ित के रूप में आपको निम्न की आवश्यकता हो सकती है:

- पुलिस को एक बयान दें,
- किसी संदिग्ध की लाइव परेड में शामिल हों या संदिग्ध की तस्वीर देखें,
- जांच के दौरान अन्य अनुरोधों का जवाब देने के लिए, जिसमें साक्ष्य के रूप में व्यक्तिगत आइटम प्रदान करना शामिल हो सकता है।

हो सकता है मामला बेबुनियाद हो। इसका मतलब यह है कि अदालत में यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि अपराध किया गया है, इसलिए मामला जारी नहीं रहेगा।

अगर मामले को आगे बढ़ाना है, तो आप चाहेंगे कि जांच करने वाली पुलिस एजेंसी आपको रास्ते में आने वाले सभी कदमों से अवगत रखे। गिरफ्तारी होने पर आपराधिक प्रक्रिया शुरू होती है।

प्रथम पेशी

प्रतिवादी की प्रथम पेशी/जमानत सुनवाई नगरपालिका न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय में होती है। उद्देश्य आरोप दाखिल करना और प्रतिवादी के लिए जमानत निर्धारित करना है।

यह सुनवाई गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर होगी, अगर वीकेंड नहीं है। अधिकांश अपराधों के लिए प्रतिवादी को उचित जमानत का संवैधानिक अधिकार है। आरोपी जमानत होने तक हिरासत में रहेगा। जब तक आरोपी जमानत देने में सक्षम है, उसे रिहा किया जा सकता है। जमानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिवादी अपनी निर्धारित अदालती सुनवाई के लिए उपस्थित होगा।

टिप्पणी: यह सुनवाई जनता के लिए खुली है

इस सुनवाई में प्रतिवादी पर रिहाई की शर्तें भी हो सकती हैं जैसे अनिवार्य उपचार, कर्फ्यू या पीड़ित के साथ कोई संपर्क नहीं होना. यदि प्रतिवादी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उस पर एक नए अपराध का आरोप लगाया जा सकता है जैसे रिहाई का उल्लंघन/जमानत शर्तों का पालन न करना।

*टिप्पणी: यह सुनवाई जनता के लिए **खुली** है*

AG इंटेक

अटॉर्नी जनरल का इंटेक यह देखने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में आरोप दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारी, अभियोजक और/या पैरालीगल शामिल हैं। (मामले के तथ्यों और सबूतों पर विचार किया जाएगा।)

*यह मीटिंग जनता के लिए **खुली नहीं** है।*

मीटिंग का परिणाम हो सकता है:

- आगे की जांच की जरूरत है।
- प्रभार समान रहते हैं।
- आरोप जोड़े, घटाए या कम किए जाते हैं।
- मामला निचली अदालत में भेजा जाता है।

प्रारंभिक सुनवाई:

प्रारंभिक सुनवाई का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अभियोजन जारी रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। यह या तो नगरपालिका न्यायालय या सामान्य दलीलों के न्यायालय में आयोजित किया जाता है। यदि प्रतिवादी सुनवाई को छोड़ने का विकल्प चुनता है, (सुनवाई के अधिकार को छोड़ देता है), यह आयोजित नहीं किया जाता है और आरोप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। यदि प्रतिवादी सुनवाई करना चाहता है, तो गवाही देने वाला एकमात्र गवाह आमतौर पर जांच करने वाला पुलिस अधिकारी होता है। हालांकि, अगर आपको गवाही देने के लिए समन भेजा गया है, तो आपको पेश होना होगा और तुरंत अटॉर्नी जनरल के पीड़ित/गवाह कार्यक्रम और जांच अधिकारी को फोन करना चाहिए।

*टिप्पणी: यह सुनवाई जनता के लिए **खुली** है*

न्यायालय यह निर्णय ले सकता है:

- आरोपों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजें
- एक या अधिक शुल्क कम करें या खारिज करें।